समाहरणालय, रोहतास (सासाराम)

(जिला स्थापना प्रशाखा)

****

नियोजन संबंधी सूचना

अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1982/आ0प्र0, दिनांक 10.07.2017 द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में जिला स्तरीय आपात कालीन संचालन केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण हेतु बिहार सेवा के एक सेवा निवृत पदाधिकारी एवं दो सेवा निवृत लिपिकों की संविदा पर नियोजन हेतु, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 2804 दिनांक 20.03.2010 एवं 10000 दिनांक 10.07.2015 के आलोक में आवेदन पत्र संलग्न विहित प्रपत्र में आमंत्रित किया जाता है। आवेदक अपना आवेदन पत्र जिला पदाधिकारी के कार्यालय में स्वयं या निबंधित डाक से दिनांक 30-12-17 तक जमा कर सकते है। तिथि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।

चयन की प्रक्रिया एवं शर्ते :-

1. जिला चयन समिति द्वारा प्राप्त आवेदनों के गुणवता के आधार पर आवश्यकतानुसार रिक्त पदों पर नियोजन किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में उपस्थित होना होगा।
2. चयन में बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को वरीयता के आधार पर एवं लिपिकों में क्षेत्रीय कार्यालयों/समाहरणालय संवर्ग से सेवा निवृत लिपिकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
3. चयन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम उम्र सीमा दिनांक 30.11.2017 को 63 वर्ष की होगी। अत्यधिक उम्र सीमा विचारणीय नहीं होगा।
4. नियोजित कर्मियों का मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अन्तिम वेतन में पेंशन की राशि घटाने के बाद अवशेष राशि एवं सेवा निवृति के समय प्राप्त महँगाई भत्ता का प्रतिशत होगा, जो स्थिर रहेगा।
5. संविदा पर नियोजन प्रथम 2 वर्ष/1 वर्ष के लिए होगा। उनके कार्यकलाप/संतोषप्रद कार्य रहने पर आवश्यतानुसार अगले एक वर्ष के लिए विस्तारित की जाएगी। अधिकतम अवधि का विस्तार 65 वर्ष की आयू पूर्ण होने तक ही होगी।
6. उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने या कार्य संतोष-जनक नहीं पाये जाने पर कभी भी बिना सूचना के नियोजन समाप्त कर दी जाएगी।
7. निम्नांकित कोटि के कर्मी नियोजन के पात्र नहीं होंगे :-
(क) जिनपर कोई निगरानी/विभागीय कार्यवाही या न्यायालय में वाद चल रहा है।
(ख) जिनपर कोई गम्भीर आरोप या किसी तरह का अपराधिक मामला हो।
(ग) जो स्वास्थ्य के दृष्टीकोण से सक्षम नहीं होगे।
8. जिला चयन समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं विज्ञापन रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

उक्त आशय का शपथ पत्र आवेदन के साथ देय होगा। जहाँ से कर्मि सेवा निवृत हुए होंगे, वहाँ का अनुशंसा आवश्यक होगा। विस्तृत जानकारी जिल के बेबसाईट www.rohtas.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

ह0/- 19/12

जिला पदाधिकारी,
रोहतास, सासाराम।

Tele. No.06184-222226(O), 222224 (R), Fax No. 221224, Mob. No. 9431632414, E-mail:- dm-rohtas.bih@nic. in

विहित प्रपत्र

1. आवेदक का नाम :– ....

2. विभाग / कार्यालय का नाम (जहाँ से से0नि0 हुए हो) :– ....

3. जिला का नाम (जहाँ से से0नि0 हुए हो) :– ....

4. जन्म तिथि :– ....

5. सेवा निवृत की तिथि :– ....

6. अंन्तिम वेतन :–

(क) मूल वेतन :– ....

(ख) वेतनमान :–..

(ग) ग्रेड पे :– ....

स्वअभिप्रमाणित फोटा

7. सेवा निवृत तिथि को समय धारित पद :– ....

8. पेंशन स्वीकृत की स्थिति :–

(क) स्वीकृत :– ( )
(ख) स्वीकृत नहीं :– ( )
(ग) औपबंधिक स्वीकृत :– ( )
आदेश की प्रति संलग्न करें।

9. पेंशन की स्वीकृत राशि (पेंशन+महँगाई राहत कुल जोड़कर) :– ....

10. सेवा निवृत की तिथि या पूर्व में विभागीय आरोप / विभागीय कार्रवाई की स्थिति :– ....

11. आरक्षण श्रेणी :– ....

12. आरोप के निष्पादन की तिथि / अधिरोपित दण्ड की विवरणी :– ....

13. वर्त्तमान पता :– ....

14. स्थायी पता :– ....

15. घोषणा पत्र (1) एतद् द्वारा मैं घोषणा करता / करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण सही है। सूचना गलत पाए जाने की स्थिति में मेरी उम्मीदवारी / संविदा नियोजन रद्द किया जा सकता है। (2) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की संकल्प सं0– 2804 दिनांक 29.03.2010 की सभी शर्त्त मान्य है।

मोबाईल नं0 –

आवेदक का हस्ताक्षर

स्थान :–

दिनांक :–